

पत्र सं०-६/अ७-४८/२००२-२५/८

झारखण्ड सरकार  
मा नव संसाधन विकास विभाग  
शैक्षणिक शिक्षा निदेशालय

पृष्ठ,

श्री महादीर प्रसाद, भा०प००८०  
निदेशक,  
शैक्षणिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,  
सी०बी०स्स०ई०,  
नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक-११.५.२००२

फिष्यो:- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. से  
संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाराय,

निदेशानुसार कहना है कि मा नव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी.बी.एस.ई. से निजी विद्यालय को संबद्धता के लिये निर्मांकित विद्यालयों को नीचे अंकित शतों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है ।

क्रमांक

विद्यालय का नाम

१. श्री न लैण्ड एबिलक स्कूल हटिया, राँची ।
२. स्वामी श्रद्धानन्द डी.ए.भी., राँची ।
३. डी.ए.भी. कन्दराज, पाबिलक स्कूल, पी.ए.स.सी. कॉलनी बर्द्धमान कम्पाउन्ड, राँची ।
४. विमला पाण्डेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन विद्यालय, सुदना, डालटनगंज ।
५. डी.ए.भी. पाबिलक स्कूल, गोकुलपुर, पाकुड़ ।
६. लेडी. के.सी.राय मेमोरियल, रातु रोड, राँची ।

शर्तेः-

क्र. १. विद्यालय की वार्षिक बचत आय का १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित

क०प००३० ।  
१४४

नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बजत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में ही किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय बेतन एवं भत्तों के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा येगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में दो एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में चार एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई निश्चित रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फी नहीं लिया जायेगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए कम से कम 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा तथा उनसे लिया जानेवाला शुल्क सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

7. विद्यालय का कार्यकालाप राष्ट्रद्वित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन शारीरिक विकास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।

8. विद्यालय में विद्यार्थियों की समुचित संख्या होनी चाहिए तथा उनके अनुपात में शिक्षकों की भी संख्या होनी चाहिए।

9. नामांकन के लिए स्वीकृत स्थान, नामांकन प्रक्रिया, विद्यालय कर्मियों की संख्या, उनकी अपेक्षित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया आदि में समय-समय पर सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्य अवधि पूरा होने पर नये सदस्यों की सूची संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में जमा करना होगा।

11. विद्यालय में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के सकारात्मक प्रोग्राम तथा एन.सी.एस., एन.एस.एस., स्कॉउट एवं गार्ड आदि की सुचारू रूप से करना होगा।

184666  
14-16... कू0३०३०

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है तो विभागीय परिषत्र सेख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शतों का पालन करना होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।

13. <sup>में</sup> उपर्युक्त शतों शतों या हन्धेज/बन्धेजों के अनुपालन नहीं करने पर राज्य समीक्षीय परान्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेख यदि जाली ज्ञायवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाये जायें, विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विलङ्घ कृत्य किया जा रहा हो या ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिससे समाज में कठुता फैले तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15. अनापत्ति की शतों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव धर्माधार विकास विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकाद्मीय अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचीयोपरान्त अनुबती कार्य वापस कर सकेगी।

16. स्तर विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

### विद्यालय समाज स

महावीर प्रसाद  
महावीर प्रसाद  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय,  
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक-2618 /राँची, दिनांक-14-अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि- संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित।

महावीर प्रसाद  
महावीर प्रसाद  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखंड, राँची।